नईमा बेगम वगैरहा बनाम हामिद रशीद वगैरहा

तारीख ...	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.11.17	वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र दिनांक 30.05.2017 पेश की। प्रार्थी/रैस्पो0 का कथन है कि मूल वाद का निर्णय हो चुका है इसलिये अपील निष्प्रभावी हो चुकी है। अतः अपील खारिज की जावे। अपीलान्ट का कथन है कि अपील को मैरिट पर निस्तारण किया जावे। हमने उभय पक्ष के विद्धान अभिभाषको की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन निर्णय में विवादित आराजी ख0 नं0 687 रकवा 4 बीघा 15 विस्वा वॉके ग्राम बाडी नं01 तहसील बाडी जिला धौलपुर के संबंध में है। इस आराजी से संबंधित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी में हामिद रशीद वगैरहा बनाम शकीला वगैरहा दावा दायर हुआ था जिसका राजीनामा के आधार पर दिनांक 20.02.2017 को डिक्री हो चुका है। इसलिये यह अपील निष्प्रभावी हो गयी है। अतः अपील को इसी विनाय पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट निष्प्रभावी होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर	